International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 20-06-2019; Accepted: 23-07-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 5; September 2019; Page No. 108-111

गंदी बस्तियों के नियोजन की योजनाएँ: रीवा संभाग की गन्दी बस्तियों का प्रतीक भौगोलिक अध्ययन

मदन गोपाल सिंह [1], डॉ. सुशीला द्विवेदी [2]

[1] शोध छात्र भूगोल, शासकीय ठा. रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

[2] प्राध्यापक भूगोल, शासकीय डिग्री कालेज, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

अध्ययन क्षेत्र रीवा संभाग के सभी 31 नगरों में 506 गंदी बस्तियों की इकाइयाँ है, जिनमें 326005 व्यक्ति निवास कर रहे है। इन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या की आय न्यून होने से साफ–सफाई सहित विभिन्न आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताओं की वांच्छित उपलब्धता न हो पाने के कारण नगर प्रदूषण एवं विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याओं के कारण उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। नगरों का विकास सतत होता रहे, इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख योजनाओं में गंदी अवैध बस्ती को वैधता प्रदान करना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना, पेयजल योजना, यू.आई.डी. एम.एम.टी. योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना आदि प्रमुख है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा गंदी बस्तियों का उन्मूलन हो सकेगा, जिससे सद्पर्यावरणीय नगरीय विकास का मार्ग प्रसस्त होगा।

मूल शब्द: गंदी बस्ती, प्रदूषण, आर्थिक–सामाजिक, अपराध, योजनाएँ

प्रस्तावना

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य विज्ञान एवं तकनीकी विकास के जनसंख्या को नगरों की ओर तेजी से आकर्षित किया है, जिससे उनकी संख्या एवं आकार दोनों में आशातीत अभिवृद्धि हुई दृष्टिगोचर होती है। नगरीय विकास के साथ ही गंदी बस्तियों में मात्रात्मक वृद्धि हुई है।[1] इस वृद्धि ने नगरीय जीवन को अपघटित करना प्रारंभ किया, जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं सामाजिक प्रदूषणों चोरी, राहजनी, डकैती, झगड़ा–फसाद, गैर कानूनी, आर्थिक गतिविधियाँ, नशाखोरी, वर्ग संघर्ष जैसे स्वरूपो में प्रकटीकरण हुआ है।[2] इन घटनाओं का प्रभाव नगरीय जनजीवन पर 'नकारात्मक' रूप में पड़ने के कारण नगरों के आस्तित्व हेतु प्रश्न चिन्ह बनने लगी है। नगर जो सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठता के स्थल माने जाते है, उनका वह स्वरूप बना रहे, उसके लिए गंदी बस्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता है, जो विहित नियोजन कार्य द्वारा संभव है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अययन 'गंदी बस्तियों के नियोजन की योजनाएँ : रीवा संभाग को गंदी बस्तियों का प्रतीक भौगोलिक अध्ययन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा गदी बसितयों का चिन्हांकन कर नगरपालिका एवं नगरनिगम से जनसंख्या सम्बन्धी द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग द्वारा पूर्ण किया गया है। अध्ययन के बोधगम्यता के लिए आवश्यकतानुसार आरेखों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र रीवा संभाग मध्यप्रदेश के उत्तरी–पूर्वी अंचल में 23°01'' उ. अक्षांश से 25°08'' उ.अक्षांश एवं 79°55'' पू.देशान्तर से 8255'' पू. देशान्तर के मध्य 24104.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। प्रतिवेदित संभाग में 04 जिले रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली है, जिनमें कुल 6897010 व्यक्ति निवास कर रहे है। कुल जनसंख्या में 82.46 प्रतिशत नगरीय एवं 17.54 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।[3] संभाग में सभी प्रकार के नगरों की कुल संख्या 30 है, जिनमें रीवा, सतना एवं सिंगरौली नगर प्रथम श्रेणी तथा सीधी द्वितीय श्रेणी का नगर है।[4] संभागान्तर्गत कुल 447 गंदी बस्तियाँ है। कुल गन्दी बस्तियों का 50.78 प्रतिशत भाग रीवा जिला, 36.46 प्रतिशत भाग सतना जिला, 7.38 प्रतिशत सीधी एवं 5.37 प्रतिशत सिंगरौली जिला में स्थित है। गंदी बस्तियों के कारण विभिन्न समस्याएँ नगरों को प्रभावित करने लगी है, जिनके नियोजन की आवश्यकता है, जो शासकीय प्रयासों द्वारा किया जा रहा है।

विश्लेषण

किसी क्षेत्रीय इकाई के विकास हेतु नियोजन कार्य को सम्पादित किया जाना, इस विकास का सम्बन्ध उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के कल्याण के लिए होता है, क्योकि विकास का अन्तिम उद्देश्य मानव कल्याण ही होता है।[5] नियोजन द्वारा कोई कार्ययोजना का सम्पादन सरल एवं चरणवद्ध ढंग से किये जाने के कारण इसकी सफलता के स्वरूप बढ़ जाते है, क्योंकि नियोजन प्रकृया में क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त तथ्यों की गहन जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ायी जाती है।

नगर सुन्दर एवं स्वस्थ्य रहें। नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो ता कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण दायित्वों का निवर्हन कर सके, इन सबके लिए आवश्यकता है कि नगरों में गन्दी बस्तियों का कलंक न हो। नगरीय इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि नगरों की सुन्दरता एवं उसमें निवास करने वाली जनसंख्या के लिए तत्कालीन प्रशासकों का सतत सहयोग मिलता था, जबकि उन दिनो भी नगरों में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के लोग भिन्न–भिन्न प्रकार की बस्तियों में निवास करते रहे। स्वतंत्रता के पूर्व काल तक नगरों की वह स्थिति नही थी जैसा कि वर्तमान शदी में दृष्टिगोचर होने लगी है। नगरों के आकार छोटे थे, कम जनसंख्या थी, परिणामस्वरूप गन्दी वसाहटों की इकाइयाँ भी कम थी। स्वतंत्रता के बाद देश में बढ़ते औद्योगीकरण एवं नगरीय क्षेत्रों में मानवीय सुविधाओं के सकेन्द्रण ने जनसंख्या को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करते हुए अपने

आकार में अभिवृद्धि किया है, जिसका परिणाम गन्दी बस्तियों की संख्यात्मक वृद्धि पर पड़ा है। प्रारंभ में तो इन बस्तियों के उन्मूलन पर ध्यान नही दिया गया, क्योंकि सहजता से मानवीय श्रम की सस्ती आपूर्ति होती थी, किन्तु धीरे–धीरे इनके विपरीत प्रभाव नगरों पर पड़ने लगे, फलतः इनके उन्मूलन के प्रयास प्रारंभ किए जाने लगे। गन्दी बस्ती को नगरों के लिए एक गहन समस्या मानते हुए इनके निपटान हेतु विभिन्न योजनाओं को समय–समय पर केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय नगरीय प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। रीवा संभाग की गन्दी बस्तियों के विकास हेतु संचालित योजनाएँ – अवैध बस्ती को वैधता, आवासीय विकास, मानवीय सुविधाओं के विकास, प्रदूषण नियंत्रण एवं आर्थिक–सामाजिक विकास से सम्बन्धित है। प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है–

1. गन्दी बस्ती को वैधता प्रदान करने की योजना,
2. मुख्यमंत्री अधोसंरचना की योजना,
3. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वाटर सप्लाई,
4. यू.आई.डी.एम.एम.टी. योजना,
5. अमृत योजना,
6. प्रधानमंत्री आवास योजना,
7. स्वच्छता योजना,
8. स्मार्ट सिटी योजना,
9. अन्य योजनाएँ।

अवैध बस्ती को बैधता प्रदाय की योजना प्रस्तुत योजना म.प्र. राज्य सरकार द्वारा संचालित है। नगरों में अनियंत्रित विकसित कालोनियों को नियमतीकरण हेतु समय–समय पर ऐसे आदेश प्रसारित किए जाते है, जिसके तहत अवैध कालोनियों को वैध किया जाता है। इन योजना के फलस्वरूप जिन कालोनियों में सड़क, नाली जैसी अधोसंरचनात्मक सुविधा नही है, उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदाय कर नगर का विकास करना है।

नगरीय क्षेत्रों में निरन्तर अभिगवन करने वाली जनसंख्या नगरपालिक एवं नगरनिगम की अभिस्वीकृति के विना निरंतर आवासीय भवनों का निर्माण करते रहते हैं। प्रायः सभी नगरों में ऐसी वसहाटों की संख्या देखी जाती है जो मंजूरी लिए बिना विकसित हो गई। नगरीय प्रशासन में ऐसे कोई प्रावधान नही है कि इन अवैध कालोनियों के लिए सड़क, नाली, विजली एवं अन्य मानवीय सुविधाओं की पूर्ति करे। इन बस्तियों की समुचित एकमुक्त जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग को भेजकर वैधता की अनुमति लेनी पड़ती है। अध्ययन क्षेत्र रीवा संभाग में 2018 की स्थिति में कुल अवैध कालोनियों की संख्या 295 हैं, जिन्हें वैधता प्रदाय हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिलेवार अवैध बस्तियों की संख्या निम्नानुसार है

सारणी 1: रीवा संभाग में अवैध कालोनी संख्या 2018

क्र.	जिला	अवैध कालोनी संख्या	कालोनी संख्या जिन्हे वैधता स्वीकृति का प्रस्ताव है	शेष	रिमार्क
1.	रीवा	121	121	121	रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली नगर के आंकड़े जो वैधता हेतु प्रस्तुत किए गये है।
2.	सतना	137	137	137	
3.	सीधी	निरंक	निरंक	निरंक	
4.	सिंगरौली	22	18	04	
5.	रीवा संभाग	295	276	191	

स्त्रोतः संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विभाग रीवा संभाग 3.2.19 पर आधारित.

उपर्युक्त सरणी 1 से स्पश्ट होता है कि संभाग में 295 अवैध कालोनी है, जिनमें 276 कालोनी को वैध किए जाने का प्रस्ताव है। सबसे अधिक अवैध कालोनी की संख्या संभाग के सतना जिले में 137 पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि जिस अनुपात में अवैध कालोनी को वैधता प्रदाय हेतु प्रस्ताव भेजा जाता है अनुमति मिलने तक उस संख्या से दो तीन गुनी नई अवैध कालोनी विकसित हो जाती है।

मुख्यमंत्री अधोसरंचना की योजना

प्रस्तुत योजना म.प्र. सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के 02 भाग है

1. **मुख्यमंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण की योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य सड़क, नाली, सौन्दर्यीकरण आदि हेतु राशि का आवंटन किया जाता है।
2. **मुख्यमंत्री पेयजल योजनाः** इसके अन्तर्गत नगर के जल आपूर्ति हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण यथा इंटकवेल, ओवरहैड टंकी, एच.डी. फीडर, पाइप लाइन डालने कार्य, विल्पवाइटर राइजिंग कार्य से सम्बन्धित योजना है। उक्त योजनाओं द्वारा प्राप्त वजट से रीवा संभाग के विभिन्न नगरों में किए जाने वाले कार्य प्रगति पर है। सड़क एवं नाली निर्माण में अभी तक समग्र संभाग में 16.32 करोड़ एवं वाटर आपूर्ति हेतु 22.63 करोड़ रुपये व्यय किए गए। रीवा नगर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत एक इटंकवेल का निर्माण कार्य अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा के समीप निर्माणाधीन है। संभाग के सभी नगरों में इस योजना के अन्तर्गत सड़क–नाली, पेयजल हेतु ओवर हेड वाटर टैंक का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के नगरीय क्षेत्रों में इस योजना द्वारा किए जा रहे कार्यो का विवरण निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक 2: रीवा सभाग में मुख्यमंत्री योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्य 2018

क्र.	जिला	कार्य विवरण मात्रा					
		सड़क मीटर में	नाली	पानी टंकी	पाइप लाइन	इंटक वेल	एच.डी.फीडर
1.	रीवा	1230मी.	800 मी.	05	1700 मी.	01	02
2.	सतना	1452 मी.	1100 मी.	07	2300मी.	–	02
3.	सीधी	588 मी.	250 मी.	01	अप्राप्त	–	निरंक
4.	सिंगरौली	1108 मी.	798 मी.	03	अप्राप्त	–	01
5.	योग	4378	2948	16	4000	01	05

स्त्रोतः रीवा संभग में विभिन्न नगरों के स्थानिक प्रकाशन से प्राप्त जानकारी 2018

उपर्युक्त सारणी 2 के अनुसार संभाग के विभिन्न नगरों में 4378. 00 मीटर लम्बी सड़क, 4000 मी. लम्बी नालियों, 16 पानी की

टंकी जो विभिन्न क्षमताओं वाली हे, 01 इटंकवेल, 05 फीडार का कार्य प्रगति पर है।

केन्द्र शासन की योजनाएँ

केन्द्र सरकार की योजनाएँ जिसका अध्ययन प्रधानमंत्री है, द्वारा यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना पेय जल आपूर्ति हेतु संचालित है, जबकि अमृत योजना सीवरेज ट्रीटमेन्ट हेतु चलाया जा रहा है। यू.आई.डी. योजना जल स्त्रोतों से लेकर नगरीय उपभोक्ताओं तक पेय जल उपलब्धता हेतु है। अमृत योजना जो सीवरेज ट्रीटमेन्ट की योजना है, को रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली नगरों में संचालित किया जा रहा है। विभिन्न नगरों में निर्माणाधीन प्रस्तुत कार्य की प्रगति निम्नानुसार है–

सारणी 3: रीवा संभाग प्रमुख नगरों से अमृत योजनान्तर्गत कार्य 2018

क्र.	नाम नगर	सिवरेज ट्रीटमेन्ट लम्बाई कि.मी.	लक्ष्य कि.मी.	शेष कार्य
1.	रीवा	165	64.00	47.50
2.	सतना	32.5	72.01 (प्रावि.)	39.56
3.	सीधी	03	7.0	04
4.	सिंगरौली	21	54	33
5.	रीवा संभाग	73	147.01	

स्त्रोतः निर्माण शाखा सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका 2018

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 147 कि.मी. सिवरेज ट्रीटमेन्ट जिला मुख्यालय के नगरों में किया जाना है, जिसमें 73 कि.मी. लम्बाई पर कार्य सम्पादन 80.00 प्रतिशत हो चुका है, जो वांच्छित कार्य का 49.65 प्रतिशत भाग है। यद्यपि 2019 की स्थिति में उक्त किया गया कार्य भी अधूरा ही है। अभी 50.34 प्रतिशत भाग में कार्य प्रारंभ ही नही किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रस्तुत योजना के 02 घटक है

1. B.L.C. योजना
2. A.H.P. योजना

B.L.C. योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों को उनकी यदि जमीन है जो 2.50 लाख अनुदान राशि भवन निर्माण हेतु प्रदाय किया जाना है। इस योजना से संभाग के 3500 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर चुके है।

द्वितीय योजना A.H.P. है जिसके अन्तर्गत शहरी गरीवों झुंग्गी वासियों हेतु भवन निर्माण कर सस्ती किस्त पर इन लोगों को प्रदाय करेगी। पंजीयन राशि रु 20000.00 है तथा बाद में आर्थिक किश्त निर्धारण कर भवन आवंटन किया जा सकेगा।

रीवा संभाग के रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली नगर में 1263 से अधिक ऐसे भवन तैयार हो चुके है। आवंटन प्रकृया पूरी किया जाना शेष है

सारणी 4: प्रधानमंत्री ए.एच.पी. योजना द्वारा निर्मित भवन संख्या – 2018

क्र.	जिला	भवन संख्या	पूंजी करोड़ रुपयें में	रिमार्क
1.	रीवा	258	12.90	सिफ रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली नगरों में
2.	सतना	475	23.75	
3.	सीधी	180	9.00	
4.	सिंगरौली	350	17.50	
5.	रीवा संभाग	1263	63.15	

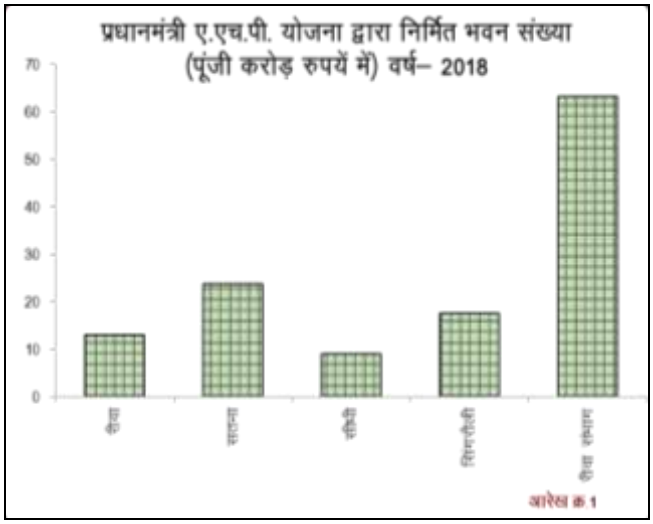

उपर्युक्त सारणी क्र. 4 से स्पष्ट होता है कि संभाग में 63.15 करोड़ रुपयें की लागत से गन्दी बस्ती उन्मूलन हेतु 1263 आवासीय भवन निर्मित किए जा रहे है। भवन बहुमंजिला इमारत के रूप में निर्माणाधीन है। सतना एवं रीवा जिला के क्रमशः सतना एवं रीवा नगरों मे निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत क्रमशः 475 एवं 258 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। तृतीय क्रम में सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कुल 350 भवन निर्माणाधीन है।

स्वच्छता योजना

स्वच्छता योजना केन्द्र प्रवर्तित राज्य शासन की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत नगर में निवास करने वाली ऐसी जनसंख्या जिसके पास शौचालय नही है, उन्हे शौचालय निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किया जाय।

यह योजना काफी लोकप्रिय हुई, जिसके कारण गन्दी बस्तियों के रिहायशी भवनों में भी शौचालय निर्मित हुए देखे जाते है। कुछ शौचालय सामूहिक एवं सुलभ काम्पलेक्स के रूप में है, यथा रीवा नगर के वार्ड क्र. 4 में सामूहिक शौचालयों की संख्या 12 से अधिक पाई जाती है।

स्मार्ट सिटी योजना

केन्द्र सरकार की योजना नगरों के संतुलित विकास के रूपांकन हेतु है। संभाग के सतना, मैहर, चित्रकूट एवं सिंगरौली नगरों को स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत शामिल करते हुए विकास किए जाने की योजना है। कार्य अभी प्रारंभ नही हुआ है। संभाग के सीधी नगर को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करने की घोषणा हो चुकी है, परन्तु अधिकृत आदेश अभी तक अप्राप्त है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त समय–समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं में शहरी गरीबों, गन्दी बस्ती के रहवासियों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण से जुड़ी है को योजनाए संचालित हो रही है। इनका लाभ गंदी बस्ती के लोगों को भी दिया जा रहा है।

निष्कर्ष रूप में नगरों को सुन्दर, आकर्षक एवं प्रदूषण बनाने के लिए राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा विविध योजनाओं के माध्यम से सड़क, नाली, पार्क, पेयजल हेतु पानी की टंकी, इंटकवेल, राइजर निम्न आयवर्गीय हेतु आवासीय भवनों का निर्माण एवं स्वच्छता विकास मद में सुलभ शौचालयों के निर्माण को गति दी जा रही है, जिसका लाभी गन्दी बस्ती के रहवासियों

को मिलेगा। फलतः गन्दी बस्तियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

गन्दी बस्ती उन्मूलन हेतु किए गये कार्यों का मूल्यांकन

नगरीय विकास के लिए योजनाएँ बनाई गई है। रेखांकित योजनाओं के अनुरूप कार्य प्रारंभ किये गये है। इन विभिन्न योजनाओं में गन्दी गरीब आयवर्गीय जनसंख्या जो गन्दी बस्तियों में रहते है, उन्हें प्रदाय की प्राथमिकता है। ऐसे भवन, सड़क, नाली, पेयजल वाहिनी पाइप लाइन से युक्त है। निर्माण क्षेत्र में जल भराव जैसी संभावनाएँ न होने के कारण पर्यावरण समस्याएँ भी नही होंगी, जो कि गन्दी बस्ती के उन्मूलन के लिए शासन की ओर से किया जा रहा एक अच्छा प्रयास है। स्वच्छता उन्मूलन के तहत लगभग 90 प्रतिशत रिहायसी भवनों के लिए शौचालय सुविधा हो गयी है, किन्तु गन्दी बस्तियों का उन्मूलन होगा, इसमें सन्देह कायम है, क्योंकि –

1. गंदी बस्ती के निवासी जिस वसाहट में रह रहे है, उसे छोड़ने को तैयार नही।
2. सड़क–नाली का जो निर्माण हुआ है, अभी से टूटफूट एवं गडढों के रूप में परणित होने लगी है। यह स्थिति कुछ ही वर्षो में दूसरी गन्दी बस्ती के विकास का कारण बन सकती है।
3. जब तक चिन्हित गंदी बस्ती के विकास का प्रयास होता है, उसके समानान्तर कई गन्दी बस्तियाँ स्थापित हो जाती है। यह स्थिति अति समस्या मूलक है।
4. गन्दी बस्ती को हटाने की मंशा से जब प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है, वोट बैंक के कारण वह निष्फल हो जाती है।

उपर्युक्त कारणों से ऐसी बस्तियों का समुचित उन्मूलन संभव नहीं हो पा रहा है। निष्कर्ष रूप में जब तक राजनैतिक दृढ़ इच्छा एवं प्रशासनिक चुस्ती नही होगी, गन्दी बस्तियों के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास भ्रष्टाचार अराजकता के आगे घुटने टेकते रहेंगे, गंदी बस्तियाँ आवाद रहेंगी।

निष्कर्ष

गंदी वसाहटों के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं स्थानिक नगरीय प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के कृयान्वयन द्वारा उनके उन्मूलन हेतु प्रयास किए जा रहे है। विभिन्न समस्याओं के कारण पूर्णतः सफलता तो नही मिल पा रही, जिसके सख्त वैधानिक प्रयासों द्वारा पूर्ण किया जाना संभव होगा।

आभार

परमपूज्य डॉ. सी.पी. तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा का आभारी हूँ जिन्होंने शोध पत्र के लेखन हेतु प्रेरणा प्रदान करते रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बी.पी. राव, नेदकेश्वर शर्मा – नगरीय भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, दाउदपुर, गोरखपुर, 2001 पृ. 229.
2. वंशल, सुरेशचन्द्र – नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1985 पृ. 283.
3. सेसेंज ऑफ इण्डिया, मध्यप्रदेश सिरीज, चार्ट ए, 2011.
4. – तथैव –
5. बी.के. श्रीवास्तव शर्मा एवं चौहान – प्रादेशिक नियोजन और विकास, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर 1997, पृ. 07.